

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 20/12/22 को पेश हो।

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 16/12/22 को पेश हो।

16/12/2023

पक्षकारान के अधिकारता उप./ अनु/ पीठासीन
अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं
पत्रावली वास्ते - आग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक 12.4.2023 को पेश हैं।

12.4.23

पक्षकारान के अधिकारता उप./ अनु/ पीठासीन
अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं
पत्रावली वास्ते - आग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक 07.6.2023 को पेश हैं।

07/6/2023 वकील शर्मा उपस्थित। विद्युत्
वकील उपस्थित। वकील विद्युत्
की लक्ष से जवाब पूर्व में पेश
कर रखा है। उक्त प्रकरण अधिकारताओं
की सहित कृपे गये। वकील शर्मा
के दोस्तों बद्रस निवेदन किना कि
वादी की लक्ष के वाद स्वार्थकारी घोषणा
व प्रमाण का पेटा किया गया था,
जो वादी का लक्ष में विचारण की निपट
पेशी तारीख 19.3.2021 को वकील
वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण
वाद हीन पेशी व ठीक हाथी के
प्रकारण किया गया। वकील प्रमाण की
गुणागुण पर निवेदन किना था।
चाहिए। वादगूल शर्मा के वादीगण
विद्युत्

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियलय जज

नया
अहकाम
की तामील

7-11-2018
के
के

के एक छूफ निहित होने के कारण
 सुनवाई का शक्तर उदान करते इल
 आवेदन पर स्वीकार किया जावे।
 इसके विपरीत वकील विद्यापी
 की कहना है कि जामिना का आवेद
 तपाद बाहर चेरा फिर प्यारे के कारण
 रवारिज भोग्य है क्योंकि वादीगण को
 पमाप्त खासत गवाहन चेरा फिर प्यारे के
 शक्तर-उदान फिर प्यारे के उपरत भी
 गवाह चेरा नहीं की गई थी और सुनवाई
 के दिन उपरिमत रही होने पर वाद रवारिज
 किया गया था, जो न्यायाधीन निर्णय पारि
 हुआ था। जामिना इसी दावा रवारिज होने
 के एक वर्ष बाद हुलगत आवेदन चेरा
 किया, जो कि तपाद बाहर होने व
 शारखीन नप्यों के शक्तर पर होने के
 कारण रवारिज पारपाई: प्यारे।

इसने उक्तपक्ष आवेदकों की वदय
 सुनी और वदय पर मतब किया तथा पत्रावली
 पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मूल पत्रावली
 का गभीरता सूचक अवलोकन किया। तबने
 पाया कि वादगृह भूमि के संषय वादी की
 और जो रवारिजरी घोषणा व एन्वर्ड निषेधा
 की इलाक़ा की वाद चेरा किया गया और
 वाद वादिगण खासत गवाहन में विजराधीन
 चलने के दोलन निमत चेरी पर वकील
 वादी के उपरिमत रही होने पर वादी
 की वाद अदत चेरी व अदत हावेली
 में रवारिज किया गया। न्यायालय की सेवा
 माननी है कि सुनवली उपरणों कम
 10/11/2018

सहायक कलक्टर
D.D. बल्लभ

मिज्जाला गुणवगुण पर होगा थारि,
 की तकनीकी आधार पर। जबकि वादी
 को शो ले खालेवारी खोण्णा की वाद
 लापा थी, यो वादी खादम में विभाषकी
 चर रबे वा। लेली परिदृष्टि को फेदेनपर
 रखते इत छापी। वादी को खुनाई
 का अन्तर लुफत मिना प्याता ल्प्राप्रापित
 उत्तीर होता है, अंक मूलवाद पुः। अराम
 फिर याने ले विचारों के कोड हित
 पुनश्चित नहीं होता है। क्योंकि मूलवाद
 में खादम लखेने के आधार पर लुफण
 का मिज्जाला गुणवगुण पर होगा।
 लेली खूत में छापीणित का आवेदनपर
 स्वीकार मिना व्याकट मूलवाद खेण्णा
 1981 2007 माखूलाय अताम डानाराय गौठा
 मीरीय दिनम 19.3.2021 को अपालन
 मिना व्याकर लुफण को पुः। अराम
 मिना जाता है।

आडेय खुनाया गी।

अनावपी कानल अनाल बेम गालिन

एकतर हैं।

विजय चार्ज

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा